

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 553]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2016—पौष 9 शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्रमांक : एफ 19-28/2016/1/4 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सत्कार कार्यालय (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राज्य शिष्टाचार अधिकारी	1	वर्ग-एक	15600-39100+7600 ग्रेड वेतन	राज्य शासन
2.	अतिरिक्त राज्य शिष्टाचार अधिकारी	1	वर्ग-एक	15600-39100+7600 ग्रेड वेतन	-तदैव-

3.	सत्कार अधिकारी	1	वर्ग-एक	15600-39100+6600 ग्रेड वेतन	-तदैव-
4.	लेखा अधिकारी	1	वर्ग-दो	15600-39100+5400 ग्रेड वेतन	-तदैव-
5.	सहायक सत्कार अधिकारी	1	वर्ग-दो	9300-34800+4200 ग्रेड वेतन	-तदैव-
6.	सहायक, ग्रेड-एक	1	वर्ग-तृतीय	9300-34800+3600 ग्रेड वेतन	विभागाध्यक्ष
7.	लेखापाल	1	वर्ग-तृतीय	5200-20200+2400 ग्रेड वेतन	-तदैव-
8.	सहायक ग्रेड-दो	1	वर्ग-तृतीय	5200-20200+2400 ग्रेड वेतन	-तदैव-
9.	सहायक ग्रेड-तीन	1	वर्ग-तृतीय	5200-20200+1900 ग्रेड वेतन	-तदैव-
10.	भृत्य	1	वर्ग-चतुर्थ	4440-7440+1300 ग्रेड वेतन	-तदैव-
11.	संविदा वाहन चालक (कलेक्टर दर पर)	2		कलेक्टर दर पर	-तदैव-।।

2. अनुसूची-दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

**"अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)**

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता		
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (क) देखिए	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(ख) देखिए	राज्य प्रशासनिक सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा/ मध्यप्रदेश लेखा सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा नियम 6(ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राज्य सत्कार कार्यालय	1. राज्य शिष्टाचार अधिकारी	1	-	-	100%
	2. अतिरिक्त राज्य शिष्टाचार अधिकारी	1	-	*100% *फीडर कैडर में पदोन्नति हेतु अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में, अतिरिक्त राज्य शिष्टाचार अधिकारी का पद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।	-
	3. सत्कार अधिकारी	1	-	100%	

4. लेखाधिकारी	1	—	—	100%
5. सहायक सत्कार अधिकारी	1	—	100%	—
6. सहायक ग्रेड-1	1	—	100%	—
7. लेखापाल	1	—	100%	—
8. सहायक ग्रेड-2	1	—	100%	—
9. सहायक ग्रेड-3	1	100%	—	—
10. भृत्य	1	100%	—	—
11. संविदा वाहन चालक (कलेक्टर दर पर)	2	100%		—।

3. अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

**"अनुसूची-चार
(नियम 13(1) देखिए)**

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राज्य सत्कार कार्यालय	1. सत्कार अधिकारी	अतिरिक्त राज्य शिष्टाचार अधिकारी	5 वर्ष	प्रत्येक अवसर पर जैसाकि राज्य शासन द्वारा विनिश्चित किया जाए
	2. सहायक सत्कार अधिकारी	सत्कार अधिकारी	6 वर्ष	प्रत्येक अवसर पर जैसाकि राज्य शासन द्वारा विनिश्चित किया जाए
	3. सहायक ग्रेड-1	सहायक सत्कार अधिकारी	5 वर्ष	1. प्रमुख सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, — अध्यक्ष 2. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग — सदस्य 3. सत्कार अधिकारी— सदस्य संयोजक 4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रथम श्रेणी का अधिकारी (उप सचिव/अवर सचिव) — सदस्य
	4. लेखापाल (प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित)	सहायक ग्रेड-1	5 वर्ष	—तदैव—
	5. सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-1	5 वर्ष	—तदैव—
	6. सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	—तदैव—।

No. F 19-28/2016/1/4 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh State Hospitality Office (Gazetted and Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1994 namely :-

AMENDMENS

In the said rules,-

1. For Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I (see rule 5)

S. No.	Name of the posts included in the Service	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	State Protocol Officer	1	Class-I	15600-39100+7600 Grade Pay	State Government
2.	Additional State Protocol Officer	1	Class -I	15600-39100+7600 Grade Pay	-do-
3.	Hospitality Officer	1	Class -I	15600-39100+6600 Grade Pay	-do-
4.	Accounts Officer	1	Class-II	15600-39100+5400 Grade Pay	do
5.	Assistant Hospitality Officer	1	Class -II	9300-34800+4200 Grade Pay	-do-
6.	Assistant Grade-I	1	Class -III	9300-34800+3600 Grade Pay	Head of the Department
7.	Accountant	1	Class -III	5200-20200+2400 Grade Pay	-do-
8.	Assistant Grade-II	1	Class -III	5200-20200+2400 Grade Pay	-do-
9.	Assistant Grade-III	1	Class -III	5200-20200+1900 Grade Pay	-do-
10.	Peon	1	Class -IV	4440-7440+1300 Grade Pay	-do-
11.	Samvida Driver (On Collector Rates)	2		On Collector Rates	-do-".

2. For Schedule-II, the following Schedule shall be substituted, namely: -

**“Schedule -II
(see rule 6)**

Name of Department	Name of Service	Total No. of duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
			By direct recruitment Vide Rule 6(a)	By promotion of members of the Service Vide Rule 6 (b)	By the transfer of persons from State Administrative Service by the transfer of persons from Madhya Pradesh Accounts Service Vide Rule 6 (C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
State Hospitality Office	1. State Protocol Officer	1	-	-	100%
	2. Additional state Protocol officer	1	-	*100% *In case no officer is available for promotion in feeder cadre, then the post of Additional State Protocol Officer shall be filled by deputation from officer of State Administrative Service.	-
	3. Hospitality Officer	1	-	100%	-
	4. Accounts Officer	1	-	-	100%
	5. Assistant Hospitality Officer	1	-	100%	-
	6. Assistant Grade 1	1	-	100%	-
	7. Accountant	1	-	100%	-
	8. Assistant Grade-2	1	-	100%	-
	9. Assistant Grade-3	1	100%	-	-
	10. Peon	1	100%	-	-
	11. Samvida Driver (Collector Rate)	2	100%	-	-

3. For Schedule-IV, the following Schedule shall be substituted, namely: -

**“Schedule-IV
[see rule 13(1)]**

Name of Department	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Experience for Promotion	Name of members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
State Hospitality Office	1. Hospitality Officer	Additional State Protocol officer	5 years	As may be decided by the Government at each occasion
	2. Assistant Hospitality Officer	Hospitality Officer	6 years	As may be decided by the Government at every occasion
	3. Assistant Grade-1	Assistant Hospitality Officer	5 years	1. Principal Secretary/ Secretary, General Administration Department - Chairmar 2. Deputy Secretary General Administration Department - Member 3. Hospitality Officer - Member Convene 4. Class I- Officer belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Category (Deputy Secretary ,/Under Secretary) - Member
	4. Accountant (Trained/ Untrained)	Assistant Grade-1	5 years	-do-
	5. Assistant Grade-2	Assistant Grade-1	5 years	-do-
	6. Assistant Grade-3	Assistaht Grade-2	5 years	-do-”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वाष्णीय, प्रमुख सचिव.